न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

अपील संख्या :– 10 / 2023

ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल जाति बलाइ निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
2. लाभचंद पिता कन्हैयांलाल जाति बलाई निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
3. सत्यनारायण पिता कन्हैयांलाल जाति बलाई निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
4. शांतिबाई पुत्री कन्हैयांलाल जाति बलाई निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ

रेसपोडेन्ट

उपस्थित :– श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता अपीलांट
श्री प्रमोद कुमार बिलू
अधिवक्ता रेस्पो. 2,4

आदेश दिनांक ::– 30.01.2025

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी के नामान्तरण संख्या 3125 निर्णय दिनांक 05.04.2022

अपील इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी में श्रीमति रूकमणी पत्नि स्व. कन्हैयांलाल बलाई के विरासत से खोले गये नामान्तरण संख्या 3125 दिनांक 05.04.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरूद्ध वास्ते निरस्त किये जाने इन्तकाल अपील निम्न आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है :–

1– यह कि मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी में अपीलान्ट की माता श्रीमति रूकमणीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल की खातेदारी आराजीयात जिसके वर्तमान खाता संख्या 476 हो खातेदार से नाम संवत 2078 में अंकित है। श्रीमति रूकमणीबाई की मृत्यु हो जाने से ग्राम पंचायत मण्डावरी में विरासत से इन्तकाल नं. 3125 उसके जायन्दा तीन पुत्र ओम प्रकाश , लाभचंद्र , सत्यनारायण व एक पुत्री शांतिबाई के नाम खोला गया।

2– यह कि मृतक श्रीमति रूकमणीबाई का विरासत से पटवार हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक मण्डावरी व ग्राम पंचायत मण्डावरी ने मिलकर बिना किसी जॉच के अपीलांट की अनुपस्थिती मे अपीलांट का नाम " ओमप्रकाश " के स्थान पर " प्रकाशचन्द्र" अंकित कर इन्तकाल नं. 3125 खोल दिया गया जब कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम " ओमप्रकाश " है, राज्य सराकर के निर्देशन में बनाए गए राशनकार्ड ,पहचान कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड सभी दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम ओमप्रकाश अंकित है ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा आनन फानन में वगैर जांच किए मौतबीरान के बनाए अनुसार निर्णय कर गलत नाम से इन्तकाल खोल कर विधि की भारी भूल की है। मृतक श्रीमति रूकमणीबाई के विरासत के नामान्तरण संख्या 3125 को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

3– यह कि श्रीमति रूकमणीबाई पत्नि स्व. कन्हैयांलाल बलाई की खातेदारी भूमि का विरासत से इन्तकाल खोलते समय प0ह0 पटवारी मण्डावरी ने वगैर जॉच किए सहवन से इन्तकाल नं. 3125 दिनांक 05.04.2022 में प्रार्थी / अपीलान्ट का नाम " ओमप्रकाश" के स्थान पर प्रकाशचन्द्र अंकित कर दिया गया, जिससे इनके आधार पर जमाबन्दी में भी प्रार्थी अपीलान्ट का नाम " ओमप्रकाश" के स्थान पर " प्रकाशचन्द्र" अंकि कर दिया गया जिसको शुद्ध कराने का अधिकारी प्रार्थी/अपीलान्ट को कानूनन प्राप्त है।

4– यह कि प्रार्थी अपीलान्ट का नाम को शुद्ध (परिवर्तन) नहीं किया गया तो प्रार्थी/अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित होगें और उनके प्राप्त होने वाले हितो पर भी काफी प्रभाव पडेगा, जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थी का नाम "ओमप्रकाश" के स्थान पर " प्रकाशचन्द्र" अंकित कर दिया उसको " ओमप्रकाश" अंकित किया जाता है तो किसी भी सहखातेदारान के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा और न ही किसी को नुकसान होने की संभावना है।

5– यह कि ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा दिये गये निर्णय की अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

तब कि पटवार हल्का पटवारी से दिनांक 02.08.2023 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट का नाम गलत अंकित होने की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील प्रार्थी/अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी में मृतक श्रीमति रुकमणीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल बलाई के विरासत से खोले गये नामान्तरण संख्या 3125 दिनांक 05.04.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा पारित विधि विपरीत निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण सं. 3125 को खारीज किया जावे और श्रीमति रुकमणीबाई के विरासत का नया इन्तकाल उनके विधिक वारिसान में अपीलान्ट का नाम " प्रकाशचन्द" के स्थान पर ओमप्रकाश अंकित कर नया इन्तकाल ओमप्रकाश, लालचंद, शांतिबाई, सत्यनारायण के नाम से खोले जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होनेपर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 व 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से तलब किया जाने पर भी वे उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार किल्लू द्वारा प्रस्तुत कर एक जवाब प्रस्तु करते हुए निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब अपील स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावें। इस प्रकार पत्रावली में ईकबालिया जवाब प्रस्तुत होने पर अपील पत्र पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा खोले गये नामान्तरण संख्या 3125 को निरस्त करते हुए पुनः अपीलान्ट का नाम ओमप्रकाश अंकितकर विरासत से नामान्तरण खोले जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया। पत्रावली में बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज यथा नकल नामान्तरण संख्या 3125, नकल जमाबंदी , आधारकार्ड, परिवार पहचान कार्ड (राशनकार्ड) व आयकर विभाग द्वारा जारी कार्ड का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत दस्तावेज में जो नामान्तरण संख्या 3125 विरासत से खोला गया है उसमें अपीलान्ट का नाम प्रकाशचन्द दर्ज कर दिया है जिससे जमाबंदी में भी नाम प्रकाशचन्द्र दर्ज हुआ है,जबकि आधारकार्ड, परिवार पहचान कार्ड व अन्य दस्तावेज में अपीलान्ट का सही नाम ओमप्रकाश दर्ज है। इस तथ्य की पुष्टी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा भी सही नाम ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल होना बताया है।

इस प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन से अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने व विरासत का पुनः नामान्तरण खोले जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 3125 निर्णित दिनांक 05.04. 2022 द्वारा ग्राम पंचायत मण्डावरी को निरस्त किया जाता है।मृतक खातेदार श्री रूकमाबाई पत्नी कन्हैयालाल बलाई सा.देह की विरासत से खोले गये नामान्तरण में अपीलांट का नाम "प्रकाशचन्द्र" गलत दर्ज कर दिया था जिसे सही नाम "ओमप्रकाश" दर्ज करने हेतु यह नामान्तरण अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की है जिससे यह अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार श्री रूकमाबाई पत्नी कन्हैयालाल बलाई निवासी मण्डावरी के वारिसान के सही सही नाम की जॉच करते हुए पुनः विरासत का नामान्तरण खोलकर प्रमाणित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.01.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 57 दिनांक :- 13.2.25

अपील संख्या 10 / 2023 व अनवान ओमप्रकाश बनाम भूमिधारी अपील विरूद्ध नामा.सं. 3125 निर्णय दिनांक 05.04.2022 में इस न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़